



Neutral Citation No. - 2026:AHC:18324

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी - 901 वर्ष 2026

श्रीमती रामपती देवी और अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उप जिला मजिस्ट्रेट और 8 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पूनम यादव, राज करण यादव, यादवेंद्र कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई।
2. याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 1/उप मंडल अधिकारी, तहसील फूलपुर, प्रयागराज को विभाजन वाद संख्या 57/2026 का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या **38375/2023** (मोहम्मद फैयाज खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक **27.09.2023** को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि जब तक स्थिति असाधारण न हो, न्यायालय को किसी भी न्यायालय को किसी भी लंबित मामले का समयबद्ध तरीके से निर्णय करने का निर्देश नहीं देना चाहिए। दिनांक 27.09.2023 का आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जब तक परिस्थिति असाधारण न हो, इस न्यायालय को किसी संवैधानिक न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को यह निर्देश नहीं देना चाहिए कि वह किसी लंबित मामले का समयबद्ध तरीके से निर्णय करे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग इस न्यायालय में आने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें प्राथमिकता मिले और अन्य लोग कतार में प्रतीक्षा करें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका को विलंब के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर भी खारिज किया जाता है।

मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी।

लंबित आवेदन(नों) का भी निस्तारण कर दिया गया है।

4. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति है, न ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि निचली न्यायालय को उपरोक्त मामले का समयबद्ध तरीके से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इसके कि मुकदमा 2025 से लंबित है।

5. इस स्थिति को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती और वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

6. हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1/उप मंडल अधिकारी, तहसील फूलपुर प्रयागराज से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार ही करें, बिना किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

27 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"